



2. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में खातेदार रूपोदेवी पत्नी अमराराम जाति विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास तहसील नोखड़ा के अतिरिक्त समस्त पक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण खातेदार रूपोदेवी पत्नी अमराराम जाति विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास तहसील नोखड़ा को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण खातेदार रूपोदेवी पत्नी अमराराम जाति विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास तहसील नोखड़ा के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण खातेदार रूपोदेवी पत्नी अमराराम जाति विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास तहसील नोखड़ा के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस सुनी गई।
3. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की शक्तियां भू-अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त हैं। राज्य सरकार द्वारा भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई हैं।
4. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर कोई कदीमी रास्ता चालू है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार बारहमासी कदीमी रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतित किए जाने के प्रावधान बनाए हुए हैं। उक्त प्रावधानों के संदर्भ में प्रकरण में मौके पर चालू बारहमासी कदीमी रास्ते को प्रकरण में मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 678/24.3539 है0, 794/9.1783 है0 मौजा खिचड़ों का वास पटवार मण्डल बाण्ड तहसील नोखड़ा पर मौके पर चालू रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर

